


मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 171]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 25 मार्च 2010—चैत्र 4, शक 1932

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 25 मार्च 2010

क्र. 7006-विधान-2010.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम-64 के उपबन्धों के पालन में, मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 10 सन् 2010) जो विधान सभा में दिनांक 25 मार्च, 2010 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

डॉ. ए. के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १० सन् २०१०

मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता (संशोधन) विधेयक, २०१०.

विषय-सूची.

खण्ड :

१. संक्षिप्त नाम.
२. सम्पूर्ण अधिनियम में कतिपय शब्दों का स्थापन.
३. धारा ४ का संशोधन.
४. धारा १० का संशोधन.
५. धारा ३१ का संशोधन.
६. धारा ३५ का संशोधन.
७. धारा ४१ का संशोधन.
८. धारा ४५ का स्थापन.
९. धारा ५१ का संशोधन.
१०. धारा ५२ का संशोधन.
११. धारा ५५ का संशोधन.
१२. धारा ५५-क का अंतःस्थापन.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १० सन् २०१०

मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता (संशोधन) विधेयक, २०१०.

मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, १९९९ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता (संशोधन) अधिनियम, २०१० है.

सम्पूर्ण अधिनियम में कतिपय शब्दों का स्थापन.

२. सम्पूर्ण मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, १९९९ (क्रमांक २ सन् २०००) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) में, शब्द "सहायक सहकारिता" जहां कहीं भी वे आए हों, के स्थान पर, शब्द "प्रमुख सहकारिता" स्थापित किए जाएं.

धारा ४ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा ४ में, उपधारा (५) में, खण्ड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(घ) समस्त आवेदकों के नामों की, उनके फोटो तथा रजिस्ट्रार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट उनके स्थाई निवास के पते के सबूत के साथ एक सूची;”.

धारा १० का संशोधन.

४. मूल अधिनियम की धारा १० में,—

(एक) उपधारा (१) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

“(१) प्रत्येक सहकारिता, का वही रजिस्ट्रीकृत पता होगा जो उसकी उपविधियों में वर्णित किया गया है तथा सहकारिता उपविधियों में वर्णित अपने रजिस्ट्रीकृत पते पर दिन-प्रतिदिन का कारबार करेगी और सहकारिता से संबंधित अभिलेखों का अपने रजिस्ट्रीकृत पते पर संधारण करेगी.”;

(दो) उपधारा (३) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

“(३) बोर्ड, संकल्प द्वारा, अपने मुख्यालय का पता तब्दील कर सकेगा, और वह ऐसी तब्दीली की सूचना, ऐसा संकल्प पारित किए जाने के पन्द्रह दिन के भीतर, रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा अपने सदस्यों, लेनदारों, रजिस्ट्रार तथा किसी ऐसी प्रमुख सहकारिता को देगा जिससे कि वह संबद्ध है.”;

(तीन) उपधारा (४) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात् :—

“(४-क) यदि सहकारिता—

(एक) रजिस्ट्रार को तब्दील किए गए पते की संसूचना नहीं देती है; या

(दो) अपने रजिस्ट्रीकृत पते पर कारबार नहीं करती है; या

(तीन) अपने रजिस्ट्रीकृत पते पर अभिलेखों का संधारण नहीं करती है,

तो रजिस्ट्रार उत्तरदायी अधिकारी पर, सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, दस हजार रुपये से अनधिक की शास्ति अधिरोपित कर सकेगा.”.

५. मूल अधिनियम की धारा ३१ में, उपधारा (१) में, खण्ड (ड) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

धारा ३१ का संशोधन.

“(ड) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लेखा के संपरीक्षित वित्तीय विवरण, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष से संबंधित संपरीक्षक की रिपोर्ट तथा उस पर की गई कार्रवाई के साथ अनुपालन रिपोर्ट पर विचार;”.

६. मूल अधिनियम की धारा ३५ में, खण्ड (इ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किए जाएं, अर्थात्:—

धारा ३५ का संशोधन.

“(इ) लेखाओं की वार्षिक वित्तीय विवरणी तैयार करना;

(ज) धारा ५२ की उपधारा (१) तथा (२) के उपबंधों के अनुसार विवरणियां तथा जानकारी प्रस्तुत करना;

(ट) धारा ३२ के अधीन वार्षिक साधारण सम्मेलन या विशेष साधारण सम्मेलन बुलाना;

(उ) सहकारिता के लिए कारबार की नीति तैयार करना तथा कारबार की नीति के अनुसार कार्य संचालित करना;

(ड) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लेखाओं की संपरीक्षा रिपोर्ट पर विचार करना तथा उसकी सिफारिशों पर कार्रवाई करना और वार्षिक साधारण सम्मेलन के समक्ष की गई कार्रवाई के व्यौरों के साथ अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करना.”.

७. मूल अधिनियम की धारा ४१ में, उपधारा (१) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

धारा ४१ का संशोधन.

“(१) प्रत्येक सहकारिता अपनी कार्यवृत्त पुस्तक में प्रत्येक साधारण सम्मेलन, प्रत्यायुक्त साधारण निकाय सम्मेलन तथा बोर्ड सम्मेलन की समस्त कार्यवाहियों के कार्यवृत्त और उसमें उपस्थित सदस्यों, प्रत्यायुक्तों या निदेशकों के नाम हिन्दी में या उपविधियों में विहित की गई किसी अन्य भाषा में अभिलिखित करेगी तथा उसकी पुष्टि उसी या आगामी सम्मेलन में करेगी तथा सहकारिता के मुख्य कार्यपालक का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह उसकी प्रति प्रत्येक ऐसे सम्मेलन के पन्द्रह दिन के भीतर यथास्थिति समस्त प्रत्यायुक्तों या सदस्यों या निदेशकों को भेजे.”.

८. मूल अधिनियम की धारा ४५ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

धारा ४५ का स्थापन.

“४५. (१) कोई सहकारिता अपने सदस्यों से, उस सीमा तक, तथा ऐसी शर्तों के अधीन जैसी कि उपविधियों में विनिर्दिष्ट की जाएं, साधारण पूंजी के रूप में निधियां जुटा सकेगी.

निधियों का जुटाया जाना.

(२) कोई सहकारिता अपने सदस्यों से, उस सीमा तक, जो कि अंश पूंजी तथा रक्षित निधि के पच्चीस गुना से अधिक नहीं होगी, निक्षेप और उधारों के रूप में निधियां जुटा सकेगी.

(३) कोई सहकारिता, केवल भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, १९३४ (१९३४ का २) में यथा परिभाषित किसी अधिसूचित बैंक या वित्तीय संस्था से या बैंककारी विनियमन अधिनियम, १९४९ (१९४९ का १०) में यथापरिभाषित सहकारी बैंक या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से उस सीमा तक तथा ऐसी शर्तों के अधीन जैसी कि उपविधियों में विनिर्दिष्ट की जाएं, निधियां उधार ले सकेगी.

- (४) कोई सहकारिता, गैर सदस्य या संस्थाओं से कोई निक्षेप तब तक स्वीकार नहीं करेगी और बैंकिंग कारबार से संबंधित कोई कार्य तब तक नहीं करेगी जब तक कि ऐसी सहकारिता ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, १९४९ (१९४९ का १०) के अधीन अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त न कर ली हो."

धारा ५१ का संशोधन.

९. मूल अधिनियम की धारा ५१ में, उपधारा (१४) में, खण्ड (छ) में, पूर्णविराम के स्थान पर, अर्धविराम स्थापित किया जाए तथा उसके पश्चात्, निम्नलिखित नया खण्ड अंतः स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(ज) यह कथन होगा कि क्या सहकारिता के कारबार में उपगत हानि घोर उपेक्षा या गंभीर अनियमितताओं का परिणाम है.”

धारा ५२ का संशोधन.

१०. मूल अधिनियम की धारा ५२ में, उपधारा (३) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

“(३) यदि उपधारा (१) तथा (२) में यथाविनिर्दिष्ट विवरणी तथा जानकारी रजिस्ट्रार को उपधारा (१) में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर प्रस्तुत नहीं की जाती है या नहीं दी जाती है तो रजिस्ट्रार, आदेश द्वारा, उस बोर्ड पर, जो कि उत्तरदायी हो, बोर्ड को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, दस हजार रुपए से अनधिक की शास्ति अधिरोपित कर सकेगा और बोर्ड के समस्त निदेशक ऐसी शास्ति के लिए संयुक्त रूप से दायी होंगे.”

धारा ५५ का संशोधन.

११. मूल अधिनियम की धारा ५५ में,—

(एक) शब्द “एक हजार” जहां कहीं भी वे आए हों के स्थान पर, शब्द “दस हजार” स्थापित किए जाएं;

(दो) उपधारा (४) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

“(४-क) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो,—

(क) किसी पुस्तक या प्रतिभूतियों को नष्ट करता है, विकृत करता है या उसमें हेरफेर करता है या सहकारिता से संबंधित किसी रजिस्टर, लेखा पुस्तक या दस्तावेज में कोई मिथ्या या कपटपूर्ण प्रविष्टि किए जाने में सहभागी है; या

(ख) इस अधिनियम तथा उपविधियों में यथा उपबंधित से अन्यथा सहकारिता की निधि का विनिधान करता है,

अपराध का दोषी होगा और दोषसिद्ध पर कारावास से, जो तीन मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा.”

धारा ५५-क का अंतःस्थापन.

१२. मूल अधिनियम की धारा ५५ के पश्चात्, अध्याय सात में, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात् :—

अपराधों का संज्ञान.

“५५-क. (१) प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के न्यायालय से निम्न श्रेणी का कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा.

(२) कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का, रजिस्ट्रार द्वारा या उसके द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से प्राधिकृत किए गए किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे अपराध के किए जाने के तथ्यों की लिखित रिपोर्ट प्राप्त होने के सिवाय, संज्ञान नहीं होगा.”

उद्देश्यों और कारणों का कथन

स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, १९९९ (क्रमांक २ सन् २०००) को स्वावलंबन और परस्पर सहायता के सिद्धान्त पर आधारित एक ऐसी लोकतांत्रिक उद्यमकर्ता सहकारिता के रूप में, जो कि सरकारी सहायता पर आश्रित नहीं हो, प्रोन्नत तथा विकसित करने की दृष्टि से अधिनियमित किया गया था। यह पाया गया है कि बहुत सी सहकारिताओं में अनियमितताएं हैं और पूर्वोक्त अधिनियम में उपबंध न होने के कारण इन सहकारिताओं के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है और सहकारिता, स्वावलंबन तथा परस्पर सहायता के सिद्धान्त के आधार पर एक लोकतांत्रिक संस्था के रूप में विकसित करने का एक मात्र उद्देश्य पूर्णतः प्राप्त नहीं हुआ है। इस अधिनियम के कार्यकरण के दौरान कतिपय व्यावहारिक कठिनाइयां भी महसूस की गई हैं। अतएव, यह विनिश्चित किया गया है कि अधिनियम को यथोचित रूप से संशोधित किया जाए।

२. प्रस्तावित संशोधनों की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं :—

- खण्ड २ :** कोई सहकारिता जिसकी सहकारिताएं सदस्य हैं, प्रमुख सहकारिता है किन्तु सम्पूर्ण अधिनियम में “सहायक सहकारिता” का उपयोग किया गया है, जो कि समुचित नहीं है, अतः शब्द “प्रमुख सहकारिता” स्थापित किए जाना प्रस्तावित हैं।
- खण्ड ३ :** धारा ४-आवेदक के फोटो तथा उसके निवास के पते के सबूत के साथ आवेदन प्रस्तुत करने के लिये संशोधित की जाना प्रस्तावित है।
- खण्ड ४ :** धारा १०-किसी सहकारिता के लिये उसके पंजीकृत पते पर अपना कारबार करने, पंजीकृत पते पर अभिलेखों का संधारण करने तथा परिवर्तित पता रजिस्ट्रार को संसूचित किया जाना अनिवार्य किए जाने हेतु संशोधित की जा रही है तथा इसमें असफल रहने पर दस हजार रुपये तक के जुर्माने की शास्ति प्रस्तावित की गई है।
- खण्ड ५ :** साधारण निकाय को संपरीक्षक की रिपोर्ट और उस पर की गई कार्रवाई की अनुपालन रिपोर्ट पर विचार करने के लिये सशक्त किया गया है।
- खण्ड ६ :** बोर्ड के कृत्यों में वृद्धि करने की दृष्टि से धारा ३५ को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।
- खण्ड ८ :** निधि जुटाने के उपबंधों को पुनरीक्षित किया गया है।
- खण्ड ९ :** संपरीक्षक अपनी रिपोर्ट में यह कथित करेगा कि सहकारिता के कारबार में उपगत हुई हानि, घोर उपेक्षा या गंभीर अनियमितताओं का परिणाम नहीं है, आवश्यक उपबंध प्रस्तावित किए गए हैं।
- खण्ड १० :** यदि विवरणियां और जानकारी नहीं दी गई है तो रजिस्ट्रार को, धारा ५२ के अधीन शास्ति अधिरोपित करने हेतु सशक्त किया गया है।
- खण्ड ११ :** अपराधों के उपबंधों को पुनरीक्षित किया गया है तथा शास्ति में वृद्धि की गई है।
- खण्ड १२ :** अपराधों के संज्ञान के लिये आवश्यक उपबंध अंतःस्थापित किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

३. अन्य संशोधन गौण या परिणामीस्वरूप के हैं जिनके लिये किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

४. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

भोपाल :

तारीख : १८ मार्च, २०१०.

गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन

भारसाधक सदस्य.

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 173]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 26 मार्च 2010—चैत्र 5, शक 1932

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 26 मार्च 2010

क्र. 2045-113-इक्कीस-अ (प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 10 सन् 2010) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH BILL
No. 10 OF 2010.

THE MADHYA PRADESH SWAYATTA SAHAKARITA (SANSHODHAN) VIDHEYAK, 2010

TABLE OF CONTENTS

Clauses :

1. Short title.
2. Substitution of certain words throughout the Act.
3. Amendment of Section 4.
4. Amendment of Section 10.
5. Amendment of Section 31.
6. Amendment of Section 35.
7. Amendment of Section 41.
8. Substitution of Section 45.
9. Amendment of Section 51.
10. Amendment of Section 52.
11. Amendment of Section 55.
12. Insertion of Section 55-A.

MADHYA PRADESH BILL

No. 10 OF 2010.

THE MADHYA PRADESH SWAYATTA SAHAKARITA (SANSHODHAN) VIDHEYAK, 2010

A Bill further to amend the Madhya Pradesh Swayatta Sahakarita Adhiniyam, 1999.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty first Year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Swayatta Sahakarita (Sanshodhan) Adhiniyam, 2010.

Substitution of certain words throughout the Act.

2. Throughout the Madhya Pradesh Swayatta Sahakarita Adhiniyam, 1999 (No. 2 of 2000) (hereinafter referred to as Principal Act), for the words "secondary co-operative" wherever they occur, the words "principal co-operative" shall be substituted.

Amendment of Section 4.

3. In Section 4 of the Principal Act, in sub-section (5), for clause (d), the following clause shall be substituted, namely:—

“(d) a list of names of all the applicants with their photos and such proof of their permanent residential address as specified by the Registrar;”.

Amendment of Section 10.

4. In Section 10 of the Principal Act,—

(i) for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:—

“(1) Every co-operative shall have the same registered address which has been mentioned in its bye-laws and the co-operative shall carry on day to day business at its registered address mentioned in the bye-laws and shall maintain records pertaining to the co-operative at its registered address.”;

(ii) for sub-section (3), the following sub-section shall be substituted, namely:—

“(3) The board may, by resolution, change the address of its head office and it shall give notice of such change by registered post to its members, creditors, the Registrar and to any principal co-operative to which it is affiliated, within fifteen days of the passing of such resolution.”;

(iii) after sub-section (4), the following sub-section shall be inserted, namely:—

“(4-A) If the co-operative does not—

- (i) communicate the changed address to the Registrar; or
- (ii) carry on the business at its registered address; or
- (iii) maintain the records at its registered address,

the Registrar may impose penalty not exceeding ten thousand rupees on the Officer responsible after giving a reasonable opportunity of being heard.”.

Amendment of Section 31.

5. In Section 31 of the Principal Act, in sub-section (1), for clause (e), the following clause shall be substituted, namely:—

“(e) consideration of audited financial statements of accounts, the auditor's report relating to the previous financial year and compliance report along with the action taken on it;”.

6. In Section 35 of the Principal Act, for clause (i), the following clauses shall be substituted, namely:— **Amendment of Section 35.**

- “(i) to prepare the annual financial statement of accounts;
- (j) to file returns and information in accordance with the provisions of sub-section (1) and (2) of Section 52;
- (k) to convene annual general meeting or special general meeting under section 32;
- (l) to prepare the business policy for co-operative and to conduct the work in accordance with the business policy;
- (m) to consider the audit report of accounts of the previous financial year and to take action on its recommendations and to submit the compliance report along with the details of action taken before the annual general meeting.”.

7. In Section 41 of the Principal Act, for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:— **Amendment of Section 41.**

- “(1) Every co-operative shall, in its minute book, record, in Hindi or in any other language prescribed in the bye-laws, the minutes of all proceedings of every general meeting, delegate general body meeting and board meeting and the names of the member, delegates or directors present thereat and shall confirm it at the same or ensuing meeting and it shall be the responsibility of the Chief Executive of co-operative to send the copy thereof within fifteen days of every such meeting to all delegates or members or directors, as the case may be.”.

8. For Section 45 of the Principal Act, the following Section shall be substituted, namely:— **Substitution of Section 45.**

- “45. (1) A co-operative may raise funds in shape of equity capital from its members to such extent and under such conditions as may be specified in the bye-laws. **Mobilisation of Funds.**
- (2) A co-operative may raise funds from its members in shape of deposits and loans to such extent which shall not be more than 25 times of the share capital and reserve fund.
- (3) A co-operative may borrow funds only from any Scheduled bank or financial institution as defined in the Reserve Bank of India Act, 1934 (No. 2 of 1934) or co-operative bank or regional rural bank as defined in the Banking Regulation Act, 1949 (No. 10 of 1949) and to such extent and under such conditions as may be specified in the bye-laws.
- (4) A co-operative shall not accept any deposits from non-member or institutions and shall not perform any work relating to banking business unless such co-operative has obtained licence under the Banking Regulation Act, 1949 (No. 10 of 1949).”.

9. In Section 51 of the Principal Act, in sub-section (14), in clause (g), for full stop, the semi-colon shall be substituted and thereafter the following new clause shall be inserted, namely:— **Amendment of Section 51.**

- “(h) state whether the loss incurred in the business of the co-operative is the result of gross negligence or serious irregularities.”.

10. In Section 52 of the Principal Act, for sub-section (3), the following sub-section shall be substituted, namely:— **Amendment of Section 52.**

- “(3) If the returns and information as specified in sub-section (1) and (2) are not filed with or furnished to the Registrar within the period specified in sub-section (1), the Registrar may, by an order, impose penalty of not exceeding ten thousand rupees, on the board which was responsible, after giving the board a reasonable opportunity of being heard and all the Directors of the board shall be jointly liable for such penalty.”.

Amendment of Section 55.**11. In Section 55 of the Principal Act—**

- (i) for the words “one thousand” wherever they occur, the words “ten thousand” shall be substituted;
- (ii) after sub-section (4), the following sub-section shall be inserted, namely:—

“(4-A) Every person who—

- (a) destroys, mutilates or alters any book or securities, or is privy to the making of any false or fraudulent entry in any register, book of account or document belonging to the co-operative; or
- (b) invests fund of co-operative other than as provided in this Act and the bye-laws, shall be guilty of an offence and shall on conviction be punishable with imprisonment which may extend to three months or with fine which may extend to ten thousand rupees or with both.”.

Insertion of Section 55-A.**12. After Section 55 of the Principal Act, the following Section shall be inserted in Chapter VII, namely:—****Cognizance of offences.**

- “55-A (1) No court inferior to that of a Magistrate First Class shall try any offence under this Act.
- (2) No court shall take cognizance of any offence punishable under this Act except on a report in writing of the facts constituting such offence by the Registrar or by a person specially authorised by him in this behalf.”.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Madhya Pradesh Swayatta Sahakarita Adhiniyam, 1999 (No.2 of 2000) was enacted with a view to promote and develop co-operative as democratic entrepreneur based on self help and mutual aid, which are not dependent on Government help. It was found that in many co-operatives there are irregularities and no action can be taken against these co-operative in absence of the provisions in the aforesaid Act and the sole object of flourishing co-operative as democratic entrepreneur based on self help and mutual aid is not fully achieved. Certain practical difficulties have also been experienced during the working of the Act. It has, therefore, been decided to amend the Act suitably.

2. The salient features of the proposed amendments are as under :—

Clause 2: A co-operative whose members are co-operatives is the principal co-operative but the words “secondary co-operative” has been used throughout the Act, which is not appropriate, hence the words “principal co-operative” are proposed to be substituted.

Clause 3: Section 4 is proposed to be amended for submitting the application with photo of applicant and proof of his residential address.

Clause 4: Section 10 is being amended to make it compulsory for a co-operative to carry on its business at its registered address, to maintain records at registered address and to communicate the changed address to the Registrar and on its failure, a penalty of fine up to Rs.10,000/- has been proposed.

Clause 5: General body has been empowered to consider the compliance report on the auditor's report and action taken on it.

Clause 6: With a view to enhance the functions of the board, Section 35 is proposed to be amended.

Clause 7: The provisions of mobilisation of fund have been revised. Clause 8: The Auditor shall state in the report about the loss incurred in the business of co-operative is not the result of gross negligence or serious irregularities, necessary provision has been proposed.

Clause 9: If the returns and information are not furnished, the Registrar has been empowered to impose penalty under section 52.

Clause 10: The provisions of offences have been revised and penalty has been enhanced.

Clause 11: For cognizance of offences necessary provision has been proposed to be inserted.

3. Other amendments are minor or of consequential nature which call for no explanation.**4. Hence this Bill.**

Bhopal :
Dated the 18th March 2010.

GAURI SHANKAR CHATURBHAI BESEN
Member-in-Charge